[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 02/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 05 जनवरी, 2018

सा.का.नि. ....(अ) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एततद्‌वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसचूना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30.06.2017, जिसे सा.का.नि. 785(अ) दिनांक 30.06.2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 147 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि ‘’ सभी वस्तुओं (नेप्था समेत) [क्रम सं. 148, 149, 150, 151, 153 में उल्लिखित सभी वस्तुओं, टैरिफ मद 2713 11 00 या 2713 12 00 के अंतर्गत आने वाले पेट्रोलियम कोक से भिन्न]’’ को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 354/361/2017-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट- प्रधान अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30.06.2017 को सा.का.नि. 785(अ) दिनांक 30.06.2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया

था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 93/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 21.12.2017, जिसे सा.का.नि. 1533(अ) दिनांक 21.12.2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।